

पर्चा डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

रण संख्या -289 /2024

ज्ञान :

अब्दुल खान पुत्र सैयद मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. इकबाल मोहम्मद पुत्र सैयद मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. गुलजार अली पुत्र सैयद मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. बगदाद अली पुत्र सैयद मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. मो० सरवर पुत्र गुफार मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. मो० अनवर पुत्र गुफार मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. सफी मोहम्मद पुत्र यार मोहम्मद जाति राठ निवासी फतेहपुर तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
7. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
8. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा अन्तर्गत धारा

53 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955

उपस्थिति: 1 अधिवक्ता श्री सुभाषचन्द्र गर्ग

:-वादी

2 अधिवक्ता श्री करनैलसिंह

:-प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक... 30/12/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग व करनैलसिंह वकील प्रतिवादीगण के अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि

क.वादी अब्दुल खान को प्राप्त आराजी:- चकनं० 16 एफटीपी के प०न० 170/251 मु० 79 किलानं० 23/1/.013 है० दक्षिण दिशा में पूर्वसे पश्चिम, 23/2/.038 है० गै०मु०

रास्ता एवं चकनं० 28 एनजीसी के प०न० 170/252 मु० 14 किलानं० 3,8,9,12,13/1.265 है०, प०न० 170/251 मु० 3 किलानं० 23/.076 है०

सहायक कलक्टर
टिब्बी

ख.प्रतिवादी सं० 1 इकबाल मोहम्मद को प्राप्त आराजी:-चकनं० 16 एफटीपी के प०न० 170/251 मु० 79 किलानं० 20/.253, 21/1/.139, 21/2/.038 गै०मु० रास्ता, 22/1/.139, 22/2/.038 है० गै०मु० रास्ता

चकनं० 28 एनजीसी के प०न० 170/251 मु० 3 किला नं० 21/.063 पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण, 22/.076 है०, प०न० 170/252 मु० 14 किलानं० 1/.228 पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण, 2/.253, 10/.228 पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण, 11/.228 है० पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण

ग.प्रतिवादीसं० 2 गुलजार अली को प्राप्त आराजी:-चकनं० 16 एफटीपी के प०न० 170/251 मु० 79 किलानं० 24/1/.012 दक्षिण दिशा में पूर्व से पश्चिम, 24/2/.038 है०, चकनं० 28 एनजीसी के प०न० 170/252 मु० 14 किलानं० 4,7,14,15, 17, 18/1.518 है०, प०न० 170/251 मु० 3 किलानं० 24/.076 है०

घ.प्रतिवादीसं० 3 बगदादअली को प्राप्त आराजी:-चकनं० 28 एनजीसी के प०न० 169/251 मु० 2 किलानं० 24/.076, प०न० 169/252 मु० 15 किलानं० 2,3,4,8,9/1.265 है०, 7/.215 है०,

ङ.प्रतिवादीसं० 4 मोहम्मद सरवर को प्राप्त आराजी:- चकनं० 28 एनजीसी के प०न० 170/252 मु० 14 किलानं० 10/.025 है० पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण, 11/.025 है० पश्चिमी दिशा उत्तर से दक्षिण, प०न० 169/252 मु० 15 किला नं० 6/.196 है०, 7/.038 है० दक्षिण दिशा, पूर्व से पश्चिम, 14,15/.506 है०

च.प्रतिवादीसं० 5 मोहम्मद अनवर को प्राप्त आराजी:-चक नं० 16 एफटीपी के प०न० 169/251 मु० 78 किला नं० 16/.253, 25/1/.139 , 25/2/.038 गै०मु० रास्ता व चक 28 एनजीसी प०न० 169/251 मु० 2 किला नं० 25/.063, 25/.013 है० गै०मु० रास्ता, प०न० 169/252 मु० 15 किलानं० 5/.240, 5/.013 है० गै०मु० रास्ता, 6/.057 है० उत्तर दिशा के पूर्व कोणे से, प०न० 170/251 मु० 3 किलानं० 21/.013 है० पूर्वी दिशा, उत्तर से दक्षिण, प०न० 170/252 मु० 14 किलानं० 1/.025 है० पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण,

छ.प्रतिवादी सं० 6 सफी मोहम्मद को प्राप्त आराजी:- चकनं० 16 एफटीपी के प०न० 170/251 मु० 79 किलानं० 23/1/.126 है०, 24/1/.127 है० कुल 0.253 है०

उपरोक्त अनुसार खाता तकसीम कर रकम राज पृथक से कायम करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/12/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(सत्यनारायण फूले A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी.